भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
न्यू मरीन लाइन्स,मुंबई- 400 020
टेलिफॅक्स नं:022-22037819
E-mail-jtcbap-otxc@nic.in;textilecom@hotmail.com

सं.1(162)/2008/रुई/131 **दिनांक:26 जुलाई 2008**

ज्ञापन - I

विषय : विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विदेश व्यापार नीति 2004-2009 के अन्तर्गत दिनांक 22/07/2008 को जारी अधिसूचना सं. 26(RE-2008/2004-09) अनुसार लदान से पहले कच्ची रुई/ रुई अपशिष्ट / कार्डेड या कोम्ब्ड रुई का वस्त्र आयुक्त के पास निर्यात प्राधिकरण पंजीकरण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया - विधि I

विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन अधिसूचना, 1992 (1992 की 22 वीं) के अंतर्गत जारी आईटीसी (एच एस) क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आइटम्स, 1 सितंबर 2004 - 31 मार्च 2009 के चैप्टर 52 के आईटीसी कोड सं. 5201, 5202 एवं 5203 के अनुसार कच्ची रुई (लिन्ट)/ रुई अपशिष्ट (यार्न अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक सहित) कार्डेड अथवा कोम्ब्ड रुई का निर्यात केवल वस्त्र आयुक्त, मुंबई द्वारा इस संदर्भ में लदान हेतु जारी निर्यात प्राधिकरण पंजीकरण प्राप्त होने पर ही किया जा सकता है । तद्नुसार उक्त निर्यात प्राधिकरण पंजीकरण विस्तृत दिशा - निर्देश निम्नानुसार है । प्रत्येक व्यक्ति / फर्म / इकाई / निगम / कंपनी , जो कच्ची रुई (लिन्ट) अपशिष्ट (यार्न अपशिष्ट तथा गार्नेटेड स्टॉक सहित), रुई, कार्डेड अथवा कोम्ब्ड का निर्यात करने हतु इच्छुक है, उन्हें इन शर्तो तथा निबंधनों का पालन करना अनिवार्य है:-

निर्यात प्राधिकरण पंजीकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन कोरे कागज पर परिशिष्ट I क (कच्ची रुई- लिन्ट), I ख (रुई अपशिष्ट) तथा I ग (कार्डेड अथवा कोम्ब्ड, रुई) तथा - II

विहित प्रपत्र में वस्त्र आयुक्त कार्यालय (रुई अनुभाग, तीसरी मंझिल), निष्ठाभवन न्यू.सी.जी.ओ.बिल्डिंग, 48, विठठलदास ठाकरसी मार्ग, पोस्ट बैग नं.11500, मुंबई-400 020.को सभी कार्य दिवसों पर अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकते है ।

2. **<u>आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>**

आवेदक निर्यात प्राधिकरण पंजीकरण प्रपत्र **(परिशिष्ट-1क ,1 ख, 1ग तथा II, जैसी भी स्थिति हो)** निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करे :-

आवेदन विभिन्न मामलों के अनुरुप **परिशिष्ट -1क ,1ख, 1ग तथा II** पर उपलब्ध प्रपत्र में इस ज्ञापन में दिये गये विस्तृत अनुदेशों के आधार पर उचित ढंग से भरे जाए ।

परिशिष्ट -1क ,1ख, 1ग तथा II, जैसी भी स्थिति हो, में भरी गई जानकारी सभी पहलुओं की दृष्टि से परिपूर्ण होने की संतुष्टि पर वस्त्र आयुक्त अथवा उनके प्राधिकृत अधिकारी (संयुक्त वस्त्र आयुक्त / निदेशक / उप निदेशक / सहायक निदेशक) परिशिष्ट - II पर उपलब्ध विहित प्रपत्र में निर्यात प्राधिकरण पंजीकरण जारी करेंगे । यथाविधि हस्ताक्षरित एवं सरकारी मुहर के साथ निर्यात प्राधिकरण पंजीकरण (परिशिष्ट -।।), आवेदक को लदान से पूर्व सीमाशुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए जारी किया जाएगा ।

3. **<u>निर्यात प्राधिकरण पंजीकरण के लिए शर्ते तथा निबंधन</u>**

(I) निर्यात प्राधिकरण पंजीयन हेतु आवेदन वास्तविक लदान की तिथि से पूर्व तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए । यदि निर्धारित 30 दिनों के भीतर निर्यात नहीं किया जाता, तब जारी किया गया निर्यात प्राधिकरण पंजीयन रद्‌द माना जाएगा । निर्यातक को इसे लदान से पहले पुन: वैध कराना होगा ।

(ii) यदि किसी कारणवश (आयतक / निर्यातक द्वारा) निर्यात संविदा रदद् की जाती है या निर्यात नहीं हो पाता है तो निर्यातक रद्‌द होने / निर्यात न होने की सूचना निर्यात रदद् होने की तिथि से 15 दिन के भीतर वस्त्र आयुक्त को देगा ।

(iii) यदि निर्यात लदान की पूर्ति करने में निर्यातक की ओर से दो बार - चूक होती है तो उसके बाद उनके निर्यात प्रधिकरण पंजीयन आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब

तक परिशिष्ट - II के क्रम सं 4 में उल्लिखित लदान के विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाते ।

(iv) पूर्ण पंजीकृत मात्रा के वास्तविक निर्यात के पश्चात सीमाशुल्क विभाग द्वारा जारी लदान बिलों की सुपाठ्य विनिमय नियंत्रण प्रति प्रस्तुत करने के साथ - साथ निर्यातक परिशिष्ट - II के क्रम सं.4 पर निर्यात की गई वस्तुओं की मात्रा, इसका मूल्य तथा गन्तव्य सूचित करेगा ।

(v) पंजीकृत कुल वज़न में $\underline{+}$5% की अधिकतम सह्य सीमा स्वीकार्य है ।

(डॉ. जे. एन. सिंह)
वस्त्र आयुक्त

प्रतिलिपि,

1. डॉ. जे. एन. सिंह
संयुक्त सचिव,
वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110 107.
ई मेल-jagdipsingh@yahoo.com

2. श्री आर. सी . गुजराल
विदेश व्यापार महानिदेशालय,
पदेन अतिरिक्त सचिव भारत सरकार, नई दिल्ली .

3. सुश्री कामेश्वरी सुब्रमण्यम,
संयुक्त सचिव,(सीमा शुल्क)
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली - 110 011.

4. अध्यक्ष - सह- प्रबंध निदेशक
भारतीय कपास निगम (भा.क.नि.),
कपास भवन, प्लॉट क्रं. 3/A,
सेक्टर क्र.10, सी . बी . डी . बेलापुर,
नवी मुंबई - 400 614.
ई मेल-cmd@cotcorp.com

5. प्रबंध निदेशक

कॉटन ग्रोअर्स को-ऑप फेडरेशन ,
महाराष्ट्र /गुजरात / मध्य प्रदेश / आन्ध्र प्रदेश / तामिलनाडू / कर्नाटक /पंजाब मार्क .फेड / पंजाब स्पिनफेड / हरियाणा / राजस्थान /उड़िसा / नाफेड.

6. अध्यक्ष,
कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया
दूसरी मंजिल, कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग,
कॉटन ग्रीन,
मुंबई - 400 033.

7. साउथ इंडिया कॉटन असोसिएशन (एस.आई.सी .ए.)
पो.बै.नं. 3310, 477, कामराजर रोड ,
उपिलिपालयम पोस्ट,
कोइम्बतूर - 641 015.
तामिलनाडु
दूरभाष : 2573018,2572115
फॅक्स : 0422-2572115
ई मेल-sicacoimbatore@vsnl.com
sicacoimbatore@eth.net

8. अध्यक्ष,
नॉदर्न इंडिया कॉटन असोसिएशन लिमिटैड,
पूराना सत्ता बझार,
नवी बस्ती गली नं. 6,
भटिंडा - 151 001.
पंजाब.

9. वस्त्र आयुक्त के सभी क्षेत्रीय कार्यालय,

10. सभी सीमा शुल्क आयुक्त

11. अध्यक्ष,
कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सिटी)
6 वां माला, नरैन मंजिल,
23, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली - 110 001.
ई मेल-icmf@vsnl.com

12. नॉदर्न इंडिया टेक्सटाइल मिल्स असोसिएशन,
पीएचडी हाऊस,
एशियन गेम विलेज के सामने,
नई दिल्ली - 110 016.

13. सदर्न इंडिया मिल्स असोसिएशन,
पो.बॉक्स नं. 3783.
कोइम्बतूर - 641 018.
तमिलनाडू.

14. साउथ इंडिया स्पिनर्स असोसिएशन,
कोइम्बतूर . तमिलनाडू

15. सचिव,
अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स रिसर्च असोसिएशन,
पो.ओ.अंबावाडी विस्तार,
अहमदाबाद - 380 015.
गुजरात.

परिशिष्ट - I क

वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार, मुंबई को निर्यात प्राधिकरण पंजीकरण हेतु आवेदन

विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिसूचना, 1992 (1992 की 22 वीं) के अन्तर्गत जारी आईटीसी (एचएस) क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आइटम्स (1 सितंबर, 2004 -31 मार्च 2009 के आई टी सी कोड 5201 की) **अनुसूची 2, सारणी ख के अनुसार वस्त्र आयुक्त के दिनांक 26 जुलाई, 2008 के ज्ञापन सं. 1/162/2008/रुई के संदर्भ में कच्ची रुई (लिन्ट) हेतु निर्यात प्राधिकरण पंजीयन हेतु आवेदन**

(I) क्या निर्यातक ने निर्यात प्राधिकरण पंजीयन प्रमाणपत्र (निप्रापंप्र) पहले प्राप्त किया है ? यदि हां तो निप्रापंप्र संख्या तथा दिनांक दर्शाएं ।

(II) क्या निर्यातक ने पहले निप्रापंप्र के परिशिष्ट II के अनुक्रमांक 4 में उल्लिखित लदान के विवरण प्रस्तुत किए हैं ?, यदि हां तो निप्रापंप्र संख्या तथा दिनांक दर्शाएं :

(III) निर्यात का विवरण

अनुक्रमांक	निर्यात संविदाएं सं. तथा दिनांक	किस्म	गुणवत्ता प्राचल		मैट्रिक टन में मात्रा
			मूल स्टैपल लंबाई मि.मी. में (2.5% स्पैन लंबाई)	सूक्ष्मता (माइक्रोनेअर)	

आवेदक का हस्ताक्षर एवं मुहर तथा दिनांक
(प्रोप्रायटर / प्रबंध निदेशक /प्राधिकृत हस्ताक्षरी / कार्यकारी भागीदार)

आवेदक का पूरा नाम
पूरा डाक पता

दूरभाष / मोबाइल सं.
फॅक्स क्रं.
ई मेल
पैन नं.

वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार, मुंबई को निर्यात प्राधिकरण पंजीकरण हेतु आवेदन ।

विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिसूचना, 1992 (1992 की 22 वीं) के अन्तर्गत जारी आईटीसी (एचएस) क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आइटम्स (1 सितंबर, 2004 -31 मार्च 2009 के आई टी सी कोड 5202 की)

अनुसूची 2, सारणी ख के अनुसार वस्त्र आयुक्त कार्यालय का दिनांक 26 जुलाई, 2008 के ज्ञापन सं 1/162/2008/रुई के संदर्भ में रुई अपशिष्ट (यार्न अपशिष्ट गार्नेटेड स्टॉक सहित)हेतु निर्यात प्राधिकरण पंजीयन हेतु आवेदन

(I) **क्या निर्यातक ने निर्यातक प्राधिकरण पंजीयन प्रमाणपत्र (निप्रापंप्र) पहले प्राप्त किया है ? यदि हां तो निप्रापंप्र संख्या तथा दिनांक दर्शाएं ।**

(II) **क्या निर्यातक ने पहले निप्रापंप्र के परिशिष्ट I। के अनुक्रमांक 4 में उल्लिखित लदान के विवरण प्रस्तुत किए हैं ?, यदि हां तो निप्रापंप्र संख्या तथा दिनांक दर्शाए:**

(III) **निर्यात का विवरण**

अनुक्रमांक	निर्यात संविदाएं सं. तथा दिनांक	किस्म	मैट्रिक टन में मात्रा

आवेदक का हस्ताक्षर एवं मुहर तथा दिनांक
(प्रोप्रायटर / प्रबंध निदेशक /प्राधिकृत हस्ताक्षरी / कार्यकारी भागीदार)

आवेदक का पूरा नाम
पूरा डाक पता

दूरभाष / मोबाइल सं.
फॅक्स क्रं.
ई मेल
पैन नं.
आई ई सी क्र

परिशिष्ट - I ग

वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार, मुंबई को निर्यात प्राधिकरण पंजीकरण हेतु आवेदन ।

विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिसूचना, 1992 (1992 की 22 वीं) के अन्तर्गत जारी आईटीसी (एचएस) क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आइटम्स (1 सितंबर, 2004 -31 मार्च 2009 के आई टी सी कोड 5203 की)

अनुसूची 2, सारणी ख के अनुसार वस्त्र आयुक्त कार्यालय के दिनांक 26 जुलाई, 2008 के ज्ञापन सं. 1/162/2008/रुई के संदर्भ में कार्डेड अथवा कोम्ब्ड, रुई हेतु निर्यात प्राधिकरण पंजीयन हेतु आवेदन

(I) **क्या निर्यातक ने निर्यातक प्राधिकरण पंजीयन प्रमाणपत्र (निप्रापंप्र) पहले प्राप्त किया है ? यदि हां तो निप्रापंप्र संख्या तथा दिनांक दर्शाएं ।**

(II) **क्या निर्यातक ने पहले निप्रापंप्र के परिशिष्ट ।। के अनुक्रमांक 4 में उल्लिखित लदान के विवरण प्रस्तुत किए हैं ?, यदि हां तो निप्रापंप्र संख्या तथा दिनांक दर्शाएं :**

(III) **निर्यात का विवरण**

अनुक्रमांक	**निर्यात संविदाएं सं. तथा दिनांक**	**किस्म**	**गुणवत्ता प्राचल**		**मैट्रिक टन में मात्रा**
			मूल स्टैपल लंबाई मि.मी. में (2.5% स्पैन लंबाई)	**सूक्ष्मता (माइक्रोनेअर)**	

आवेदक का हस्ताक्षर एवं मुहर तथा दिनांक
(प्रोप्रायटर / प्रबंध निदेशक /प्राधिकृत हस्ताक्षरी / कार्यकारी भागीदार)

आवेदक का पूरा नाम
पूरा डाक पता

दूरभाष / मोबाइल सं.
फॅक्स क्र.
ई मेल
पैन नं.
आई ई सी क्र.

परिशिष्ट - I I

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
48,विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग
न्यू मरीन लाइन्स,पोस्ट बैग नं.11500
निष्ठा भवन (न्यू सी.जी.ओ.बिल्डिंग)
मुंबई- 400 020

निर्यात प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाणपत्र (निप्रापंप्र)

विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिसूचना, 1992 (1992 की 22 वीं) के अन्तर्गत जारी आईटीसी (एचएस) क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आइटम्स (1 सितंबर, 2004 -31 मार्च 2009 के **आई टी सी कोड 5201/5202/5203 की** अनुसूची 2, सारणी ख के अनुसार वस्त्र आयुक्त के **दिनांक 26 जुलाई, 2008 के ज्ञापन सं. 1/162/2008/**रुई के संदर्भ में कच्ची रुई (लिन्ट) हेतु निर्यात प्राधिकरण पंजीयन हेतु प्रमाणपत्र

1. पंजीकरण सं. 1/162/2008/रुई/ दिनांक / /2008
   (तक वैध)
2. निर्यात संविदा संख्या(एं)
   निर्यातक का नाम तथा पता :

   मेसर्स.
   आई ई सी सं.

निर्यात का विवरण

अनुक्रमांक	निर्यात संविदाएं		मात्रा (मैट्रिक टन में)	
	सं.	दिनांक	आंकड़ों मे	शब्दों में

3. हेतु औसतन पंजीकृत मात्रा — संविदाओं की संख्या

शब्दों में औसतन मात्रा — **केवल मैट्रिक टन**

आंकडों में औसतन मात्रा — केवल मैट्रिक टन

संयुक्त वस्त्र आयुक्त / निदेशक/उप-निदेशक /सहायक निदेशक, वस्त्र आयुक्त कार्यालय

कार्यालय मुहर

4. निर्यातक द्वारा वास्तविक लदान के 15 दिन के भीतर वस्त्र आयुक्त कार्यालय, रुई अनुभाग, तीसरी मंज़िल को प्रस्तुत किया जाए ।

लदान का सबूत				
लदान के बिलों की विनियम नियंत्रण सं (प्रति संलग्न)	**दिनांक**	**निर्यात की गई मात्रा मैट्रिक टन में**	**निर्यात की गई मात्रा लाख टन में मूल्य**	**गन्तव्य**

निर्यातक का हस्ताक्षर तथा मुहर